



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032020-218559
CG-DL-E-07032020-218559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941

No. 134]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

सा.का.नि. 157(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग पोस्टमैन और मेलगार्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 में, अनुसूची में-

(क) पोस्टमैन के पद से संबंधित क्रम सं.1 में, स्तंभ (7) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

- “(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण;
 (ख) ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।

अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अर्हता भी होनी चाहिए, अर्थात्:-

- (i) संबंधित डाक सर्कल अथवा प्रभाग की स्थानीय भाषा का ज्ञान तथा अभ्यर्थी ने 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो।
 (ii) कम्प्यूटर पर कार्य करनेका ज्ञान हो।

टिप्पण 1. डाक सर्कल अथवा प्रभाग की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

टिप्पण 2. पोस्टमैन के पद पर नियुक्त व्यक्ति को अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि में चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी ताकि वह दुपहिया अथवा तिपहिया अथवा हल्के मोटर वाहन चला सके। तथापि, दिव्यांगजनों को चालन अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट होगी।

टिप्पण 3. जिस अभ्यर्थी के पास नियुक्ति के समय विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं है, उसे विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किए जाने तक अथवा नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, आवधिक वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी तथा ऐसी अनुज्ञप्ति प्रस्तुत कर देने पर अथवा पांच वर्ष की समयावधि समाप्त हो जाने पर उस अभ्यर्थी का वेतन भूतलक्षी प्रभाव से वेतन के उस स्तर पर पुनः निर्धारित किया जाएगा जिस स्तर पर वेतन आवधिक वेतनवृद्धि नहीं रोके जाने की स्थिति में पहुंच गया होता तथा इस बीच की अवधि के दौरान के वेतन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ख) मेल गार्ड के पद से संबंधित क्रम सं. 2 में, स्तंभ (7) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

- “(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण;
 (ख) ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।

अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अर्हता भी होनी चाहिए, नामतः-

- (i) संबंधित डाक सर्कल अथवा प्रभाग की स्थानीय भाषा का ज्ञान तथा अभ्यर्थी ने 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो;
 (ii) कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो।

टिप्पण: डाक सर्कल अथवा प्रभाग की स्थानीय भाषा, डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

[फा.सं. 03-02/2017-एसपीएन-1]

सत्य नारायण दाश, निदेशक (एसपीएन)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 899(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Posts)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2020

G.S.R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018, in the SCHEDULE,—

(A) in serial number 1 relating to the post of Postman, under column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(a) 12th standard pass from a recognised Board;

(b) 10th standard pass from a recognised Board for the persons who are working as Gramin Dak Sevak.

The candidate shall also possess the following, namely:-

(i) knowledge of local language of the concerned Postal Circle or Division and the candidate should have studied local language upto 10th standard.

(ii) knowledge of working on computer.

Note 1: The local language of a Postal Circle or Division shall be published by the Department of Posts.

Note 2: The person appointed to the post of Postman shall acquire a driving licence to drive two wheeler or three wheeler or light motor vehicle within a period of two years from the date of his appointment. However, persons with disability shall be exempted from the requirement of driving licence.

Note 3: A candidate not having valid driving license at the time of appointment shall not earn periodical increment in pay till production of such license or for a period of five years from the date of appointment whichever is earlier and after production of such license or expiry of such five years period, pay shall be restored prospectively to the level pay would have reached had the periodical increment in pay was not withheld and no arrears of pay shall be paid for the intervening period.”;

(B) in serial number 2 relating to the post of Mail Guard, under column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(a) 12th standard pass from a recognised Board;

(b) 10th standard pass from a recognised Board for the persons who are working as Gramin Dak Sevak.

The candidate shall also possess the following, namely:-

(i) knowledge of local language of the concerned Postal Circle or Division and the candidate should have studied local language up to 10th standard;

(ii) knowledge of working on computer.

Note: The local language of a Postal Circle or Division shall be published by the Department of Posts.”.

[F. No. 03-02/2017-SPN-I]

SATYA NARAYANA DASH, Director (SPN)

Footnote: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 899(E), dated the 20th September, 2018.